



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2713/2026

Amit S/o Shri Narayan Prashad, Aged About 45 Years, R/o Vishnupur Police Station Kacheri Road Begusaraidistrict Begusarai Bihar Second Address 305, 310Janta Flats C 2 Pocket Mayur Vihar Phase -3 Dehli Presently D-226 Street No.5 Sangam Vihar Police Station Sangam Vihar Dehli. (Presently Lodged In Central Jail Udaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Firoz Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

25/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना सविना जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 429/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 331(3), 305(ए), 319(2), 112(2), 3(5) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। इस मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत विचारण न्यायालय द्वारा ही ली जा चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमे की सूची होने से विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया था। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।



05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
इस मामले में चालान पेश हो चुका है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **अमित पुत्र नारायण प्रसाद** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

91-mayank/-